

राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक- 100, सन् 1946-47.

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री जैन श्वेताम्बर तेरापन्थी
हिंसा संध राणावास का दो मारवाड सोसायटीज रजिस्ट्रेशन स्रट 1939 के
तहत पंजीयन दिनांक तेईस माह नवम्बर, एक हजार नौ सौ छियालीस को
हुआ था ।

अब इस संस्था का नाम श्री जैन श्वेताम्बर तेरापन्थी मानव हितकारी
संध राणावास जिला पाली में परिवर्तित कर दिया गया है । यह परिवर्तन
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम नं० 28, 1958)
के अन्तर्गत आज रजिस्टर कर दिया गया है ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्तक्षारों और कार्यालय की सील से आज दिनांक
छब्बीस माह सितम्बर, सन् एक हजार नौ सौ सत्तर को जयपुर में दिया गया ।

रजिस्ट्रार संस्थारे,
राजस्थान जयपुर :

26/9

इस प्रमाण पत्र प्राप्त दिनांक
26/9/70
रजिस्ट्रार संस्था
पाली-मारवाड (राज.)